



टी बोर्ड

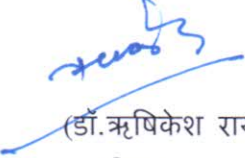
14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी,
कोलकाता-700 001

दिनांक: 03.10.2023

कार्यालय ज्ञापन सं 101/2023

कार्यालय ज्ञापन संख्या 59/2019 दिनांक 08.07.2019 के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी को यह बताने का निदेश दिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने बाह्य रोगी उपचार के लिए परामर्श शुल्क की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा को 500/- रुपये से बढ़ाकर रु. 1000/- या संबंधित चिकित्सक द्वारा लिया गया शुल्क, जो भी कम हो, कर दिया है।

यह आदेश दिनांक 01.09.2023 से प्रभावी होगा तथा निस्तारित चिकित्सा प्रकरण पुनः नहीं खोले जायेंगे।


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्र.)

संगलग्नक: यथाकथित

वितरण:-

1.	मुख्यालय, कोलकाता में बोर्ड के सभी अधिकारी/कर्मचारी (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	
2.	कार्यपालक निदेशक, कूनूर व गुवाहाटी	
3.	वि.स.एवं मु.ले.अ.	
4.	उ.नि.चा.वि, सिलिगुड़ी, वि.अ.(उ.प.भा.), नई दिल्ली, फै.स.अ, पालमपूर	
5.	लेखा अधिकारी	
6.	उपाध्यक्ष/नि.चा.वि./वि.स.एवं मु.ले.अ./सचिव के निजी सहायक	
7.	आई.टी. कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
8.	सचिवालय शाखा	
9.	टीबीइए	
10.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियाँ सहित

संदर्भ. फाइल सं 25(1)/स्था/चिकित्सा/2022